मिसल नम्बर 18/2021
निर्णय दिनांक 05–04–2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :– **18/2021**

सरकार

बनाम

हरिसिह पुत्र श्री गुल्लाराम जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

...................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 05–04–2021

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल उपस्थित। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2742/178 रकबा 0.46 है0 किस्म गैर मुमकीन बनी के रकबा 0.20 है0 व ख0न0 159 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0मु0 बनी के रकबा 0.08 है0 पर गैर सायल हरिसिंह पुत्र श्री गुल्लाराम जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने राजकीय भूमि जोतकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जबाब नोटिस मे राजस्व ग्राम दूधवा की भूमि खसरा नम्बर 2742/178 रकबा 0.46 है0 किस्म गैर मुमकीन बनी के रकबा 0.20 है0 व ख0न0 159 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0मु0 बनी के रकबा 0.08 है0 को जोतकर कब्जा करना स्वीकार किया तथा यह कब्जा गैर सायल ने अपने पूर्वजों के समय से होना बताया है। गैर सायल द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नही किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि गैर सायल हरिसिंह पुत्र श्री गुल्लाराम जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2742/178 रकबा 0.46 है0 किस्म गैर मुमकीन बनी के रकबा 0.20 है0 व ख0न0 159 रकबा

(लगातार)

तहसीलदार
तहसील खेतड़ी जि0 झुं0

मिसल नम्बर 18/2021
निर्णय दिनांक 05–04–2021

0.30 है0 किस्म गै0मु0 बनी के रकबा 0.08 है0 को जोतकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रुप से अपने अभियोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनो के लिए सुरक्षित रखी गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया की रिर्पोट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2742/178 रकबा 0.46 है0 किस्म गैर मुमकीन बनी के रकबा 0.20 है0 व ख0न0 159 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0मु0 बनी के रकबा 0.08 है0 पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 2 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम दूधवा** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2742/178 रकबा 0.46 है0 किस्म गैर मुमकीन बनी के रकबा 0.20 है0 व ख0न0 159 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0मु0 बनी के रकबा 0.08 है0 भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी